---

# न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लाडनूं, डीडवाना-कुचामन।

| | | |
|---|---|---|
| पीठासीन अधिकारी | :- | दीपेंद्र कुमार मीणा, आर.जे.एस. |
| नि.आप.प्रकरण संख्या | :- | 171/2016 |
| सी.आई.एस. नम्बर | :- | 99/2016 |
| सीएनआर नंबर | :- | **RJDK**100001662016 |
| एफआईआर नंबर | :- | 40/2016 पुलिस थाना लाडनूं |

राजस्थान सरकार जरिए अभियोजन अधिकारी .....**अभियोगी**

**बनाम**

कमलेश कुमार पुत्र शिवचंद निवासी सरदारपुरा बीका सूरतगढ़ थाना सूरतगढ़ सदर गंगानगर।

.....**अभियुक्त**

**अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दंड संहिता**

**व 146/196, 56/198 एमवी एक्ट**

**उपस्थित:-**

01. विद्वान अभियोजन अधिकारी, वास्ते राज्य सरकार।
02. अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार जांगीड़, वास्ते अभियुक्त।

**-निर्णय-** दिनांक:- **11.08.2026**

01. प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना, लाडनूं की ओर से जरिये अभियोजन अधिकारी दिनांक 31.03.2016 को अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 304ए भा.दं.स. व 146/196, 56/198 एमवी एक्ट में न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत करने पर हुआ, जिसका निस्तारण हस्तगत निर्णय के माध्यम से किया जा रहा है।

02. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 02.02.2016 को सुबह करीब 10 बजे के आस पास मुझे जगदीश स्वामी व राजेन्द्र भास्कर ने सूचना देकर बताया कि तेरे काका बालदास जी के लङके श्यामलाल मास्टर जो कि हमारे आगे आगे मोटर साईकिल से बाकलिया की तरफ जा रहा था जिसका भैंस प्रजनन केन्द्र बाकलिया के सामने एक रोडवेज बस आर.जे. 13 पी.बी. 2900 के चालक ने तेज गति व लापरवाही से चलाकर तेरे भाई श्याम जी की मोटर साईकिल के टक्कर मार दी है जिससे श्यामलाल को गम्भीर चोंटे आयी है। अब श्यामलाल को लेकर अस्पताल जा रहे हैं। आप अस्पताल आ जाओं। मै सरकारी हॉस्पिटल लाडनूं पहुंचा जहां से मेरे काका के लङके श्यामलाल को गम्भीर चोंटे आने से डॉक्टरों ने जयपुर रेफर कर दिया था। जिसका रास्ते में उक्त चोटों के कारण मृत्यु हो गयी। मेरा भाई आज सुबह 10.00 बजे के आसपास अपनी मोटरसाईकिल से बाकलिया मेरे रिश्तेदारों के यहां जा रहा था। मोटरसाईकिल न. RJ–37–SE–4378 है...........इत्यादि।

**03.** उक्त रिपोर्ट पर थानाधिकारी, पुलिस थाना लाडनूं द्वारा अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भा.दं.स. व 146/196, 56/198 एमवी एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा बाद आवश्यक अनुसंधान अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 304ए भा.दं.स. व 146/196, 56/198 एमवी एक्ट में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 304ए भा.दं.स. व 146/196, 56/198 एमवी एक्ट में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

**04.** बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भा.दं.स. व 146/196, 56/198 एमवी एक्ट का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त द्वारा आरोप से इन्कार किया गया और अन्वीक्षा चाही गई।

**05–** दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से सूची अनुसार गवाहान को परीक्षित करवाया–

**–:अभियोजन/न्यायालय गवाह सूची:–**

**क. अभियोजन**

| **साक्षी का क्रम** | **साक्षी का नाम** | **साक्ष्य की प्रकृति** |
|---|---|---|
| पीडब्ल्यू–1 | राधेश्याम | नक्शामौका/औपचारिक |

| | | |
|---|---|---|
| पीडब्ल्यू–2 | जगदीश | प्रत्यक्षदर्शी साक्षी |
| पीडब्ल्यू–3 | जगदीश प्रसाद | सूचनादाता/एफआईआर |
| पीडब्ल्यू–4 | महेंद्र | नक्शामौका |
| पीडब्ल्यू–5 | राजेंद्र | प्रत्यक्षदर्शी |
| पीडब्ल्यू–6 | रामजीलाल | अनुसंधान अधिकारी |
| पीडब्ल्यू–7 | मांगीलाल | मैकेनिकल मुआयना साक्षी |
| पीडब्ल्यू–8 | अजीज खेकर | औपचारिक साक्षी |

तथा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न सूची अनुसार दस्तावेजात को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया–

**–:अभियोजन/न्यायालय प्रदर्श सूची:–**

**क. अभियोजन**

| **क्र.सं.** | **दस्तावेजों की प्रकृति** | **प्रदर्श संख्या** |
|---|---|---|
| 1 | नक्शामौका | प्रदर्श पी–1 |
| 2 | तहरीरी रिपोर्ट | प्रदर्श पी–2 |
| 3 | फर्द पंचनामा मृतक श्यामलाल | प्रदर्श पी–3 |
| 4 | फर्द सूरतहाल लाश श्यामलाल | प्रदर्श पी–4 |
| 5 | फर्द सुपुर्दगीनामा लाश श्यामलाल | प्रदर्श पी–5 |
| 6 | फर्द जब्ती बस नं. RJ–13–PB–2900 | प्रदर्श पी–6 |
| 7 | फर्द जब्ती दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल प्लेटिना | प्रदर्श पी–8 |
| 8 | नोटिस धारा 133 एमवी एक्ट | प्रदर्श पी–9 |
| 9 | कार्यालय आदेश परिवहन निगम श्रीगंगानगर | प्रदर्श पी–10 |
| 10 | मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट वाहन RT–13–PB–2900 | प्रदर्श पी–11 |

**नोट– अभियोजन अधिकारी द्वारा दौराने साक्ष्य किसी भी गवाहान के साक्ष्य लेखबद्ध करने के समय प्रदर्श पी.7 अंकित नहीं करवाया। इसलिए प्रदर्श पी.7 को छोड़ते हुए प्रदर्श पी.8 अंकित किया गया है।**

06– तत्पश्चात् अभियुक्त का परीक्षण दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत किया गया तो अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को झूठा बताय तथा साक्ष्य सफाई पेश करना चाहा, परंतु कोई साक्ष्य सफाई पेश नहीं की गई।

07– इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि:–

**1. क्या अभियुक्त ने 1. यह कि आपने दिनांक 02.02.2016 को प्रातः करीब 10.00 बजे के आस–पास स्थान भैंस प्रजनन केन्द्र, बाकलिया के सामने, मोटर वाहन बस क्रमांक RJ–13–PB–2900 को सार्वजनिक मार्ग पर इतनी तेज गति एवं लापरवाही से चलाया कि मानव जीवन को संकट में डालते हुए मोटरसाइकिल क्रमांक RJ–37–SE–4378 के चालक श्यामलाल की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे श्यामलाल को गंभीर चोटें आईं तथा उक्त चोटों के कारण रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई जो मानव वध की कोटि में नहीं आता?**

**2. आपने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त बस क्रमांक RJ–13–PB–2900 को बिना वैध बीमा व फिटनेस प्रमाण–पत्र के सार्वजनिक स्थान पर चलाया?**

**''यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड का अधिकारी है?''**

09– दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध समग्र साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध बखूबी प्रमाणित हुआ है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

**10–** इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने तर्क प्रस्तुत किया कि गवाहान के कथनों में घोर विरोधाभास है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जो आरोपित अपराध में अभियुक्त की लिप्तता को प्रकट करे। अन्त में अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

11– उभयपक्षकारान को ध्यानपूर्वक सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण के प्रमाणीकरण हेतु 8

साक्षी को न्यायालय में प्रस्तुत कर परीक्षित करवाया गया है जिसकी साक्ष्य का विवेचन निम्न प्रकार है:–

**12-** अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराधों के समर्थन में कुल 08 साक्षियों का परीक्षण करवाया गया है। अभियोजन साक्ष्य के समग्र अवलोकन से यह तथ्य सामने आता है कि दिनांक 02.02.2016 को भैंस प्रजनन केन्द्र, बाकलिया के सामने श्यामलाल की मोटरसाइकिल एवं रोडवेज बस के मध्य दुर्घटना घटित हुई तथा उक्त दुर्घटना में श्यामलाल को चोटें आईं और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। तथापि, न्यायालय के समक्ष विचारणीय मुख्य प्रश्न यह है कि क्या उक्त दुर्घटना अभियुक्त कमलेश द्वारा बस क्रमांक RJ–13–PB–2900 को तेज गति एवं लापरवाही से चलाने के कारण हुई तथा क्या उक्त दुर्घटना में अभियुक्त की विशिष्ट भूमिका अभियोजन द्वारा संदेह से परे प्रमाणित की गई है।

धारा 279 भा.दं.सं. के अपराध को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि अभियुक्त ही संबंधित वाहन चला रहा था तथा उसने वाहन को सार्वजनिक मार्ग पर इस प्रकार तेज अथवा लापरवाही से चलाया जिससे मानव जीवन संकट में पड़ा। इसी प्रकार धारा 304ए भा.दं.सं. के लिए भी यह आवश्यक है कि मृत्यु अभियुक्त के किसी ऐसे उतावले अथवा उपेक्षापूर्ण कृत्य के कारण हुई हो, जो विधि द्वारा दण्डनीय लापरवाही की कोटि में आता हो। मात्र दुर्घटना घटित हो जाना अथवा किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना अपने आप में धारा 279 अथवा 304ए भा.दं.सं. के अपराध को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस संबंध में अभियोजन के साक्षियों की साक्ष्य का अवलोकन किया जाना आवश्यक है।

पीडब्ल्यू–2 जगदीश ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि वह घटना के समय भैंस प्रजनन केन्द्र बाकलिया के पास पहुंचा और उसने रोडवेज बस को तेज गति एवं लापरवाही से आते हुए तथा श्यामलाल की मोटरसाइकिल को टक्कर मारते हुए देखा। किन्तु प्रतिपरीक्षण में उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि बस का चालक कौन था, इसकी उसे जानकारी नहीं है तथा उसने चालक को नहीं देखा था। अतः उक्त साक्षी दुर्घटना के संबंध में कथन करता है, परन्तु अभियुक्त को वाहन चालक के रूप में पहचानने में असमर्थ है।

इसी प्रकार पीडब्ल्यू–5 राजेन्द्र ने मुख्य परीक्षण में कहा है कि वह श्यामलाल के पीछे–पीछे जा रहा था तथा रोडवेज बस ने श्यामलाल की मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। परन्तु

प्रतिपरीक्षण में उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी थी तथा रोडवेज बस कौन चला रहा था, उसे पता नहीं है। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य भी अभियुक्त को वाहन चालक के रूप में स्थापित नहीं करती।

पीडब्ल्यू–3 जगदीश प्रसाद स्वयं घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वह मौके पर उपस्थित नहीं था तथा उसने जगदीश एवं राजेन्द्र से प्राप्त सूचना के आधार पर घटना के संबंध में कथन किया है। अतः अभियुक्त द्वारा बस चलाये जाने के संबंध में उसकी साक्ष्य प्रत्यक्ष साक्ष्य न होकर सुनी–सुनाई प्रकृति की है।

पीडब्ल्यू–1 राधेश्याम एवं पीडब्ल्यू–4 महेन्द्र की साक्ष्य भी अभियुक्त की वाहन चालक के रूप में पहचान के संबंध में कोई सहायता नहीं करती। दोनों साक्षी मुख्यतः नक्शामौका पर अपने हस्ताक्षरों के संबंध में कथन करते हैं तथा अभियुक्त के वाहन चालक होने अथवा उसकी लापरवाही के संबंध में कोई प्रत्यक्ष एवं विश्वसनीय तथ्य नहीं बताते।

पीडब्ल्यू–6 अनुसंधान अधिकारी रामजीलाल की साक्ष्य का भी अवलोकन किया गया। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–10 कार्यालय आदेश में यह उल्लेख नहीं है कि बस किस व्यक्ति को सुपुर्द की गई थी और इसी कारण वह यह नहीं बता सकता कि बस कौन चला रहा था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा जगदीश के बयान में बस का नम्बर नहीं लिखा गया था तथा बस चालक का नाम भी अंकित नहीं किया गया था। इस प्रकार अनुसंधान अधिकारी की साक्ष्य से भी यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता कि दुर्घटना के समय बस अभियुक्त कमलेश ही चला रहा था।

यह भी महत्वपूर्ण है कि अभियोजन द्वारा बस के चालक के रूप में अभियुक्त की पहचान करने वाला कोई स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी प्रस्तुत नहीं किया गया। पीडब्ल्यू–2 ने चालक को देखा ही नहीं तथा पीडब्ल्यू–5 भी चालक की पहचान करने में असमर्थ है। पीडब्ल्यू–3 घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। स्वयं अनुसंधान अधिकारी भी बस के अभियुक्त द्वारा संचालित किये जाने का कोई ठोस एवं विश्वसनीय आधार प्रस्तुत नहीं कर सका।

अभियोजन द्वारा बस की जब्ती का फर्द प्रदर्श पी–6 तथा मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट प्रदर्श पी–11 प्रस्तुत की गई है। पीडब्ल्यू–7 मांगीलाल ने बस का मैकेनिकल मुआयना करने के संबंध में कथन किया है। किन्तु उक्त दस्तावेज एवं साक्ष्य अधिकतम वाहन की स्थिति अथवा

उसमें पाई गई टूट–फूट के संबंध में साक्ष्य प्रदान करते हैं। इनसे यह तथ्य सिद्ध नहीं होता कि दुर्घटना के समय उक्त बस अभियुक्त कमलेश ही चला रहा था अथवा दुर्घटना उसकी लापरवाही के कारण हुई।

पीडब्ल्यू–8 अजीज खेकर ने भी बस की जब्ती के संबंध में औपचारिक साक्ष्य दी है तथा प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि जब्ती फर्द पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। अतः उक्त साक्षी की साक्ष्य भी अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को प्रमाणित करने में कोई महत्वपूर्ण सहायता प्रदान नहीं करती।

इस प्रकरण की मूलभूत कमी यह है कि अभियोजन ने दुर्घटना में सम्मिलित बस का नम्बर RJ–13–PB–2900 तो स्थापित करने का प्रयास किया है, परन्तु यह प्रमाणित नहीं कर पाया कि दुर्घटना के समय उक्त बस को अभियुक्त कमलेश ही चला रहा था। वाहन का नम्बर मात्र सिद्ध हो जाने से उस वाहन को चला रहे व्यक्ति की पहचान स्वतः सिद्ध नहीं हो जाती।

यह विधि का स्थापित सिद्धांत है कि आपराधिक प्रकरण में अभियुक्त की दोषसिद्धि केवल संदेह, अनुमान अथवा संभावना के आधार पर नहीं की जा सकती। अभियोजन को आरोपित अपराध के प्रत्येक आवश्यक तत्व को संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। वर्तमान प्रकरण में दुर्घटना के घटित होने तथा मृतक की मृत्यु होने की परिस्थितियां अभियुक्त की पहचान एवं उसके द्वारा वाहन चलाये जाने के अभाव की कमी को दूर नहीं कर सकतीं।

अतः अभियोजन साक्ष्य में ऐसा कोई विश्वसनीय एवं ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि दिनांक 02.02.2016 को प्रातः करीब 10 बजे बस क्रमांक RJ–13–PB–2900 अभियुक्त कमलेश द्वारा ही संचालित की जा रही थी। फलतः अभियोजन द्वारा धारा 279 एवं 304ए भा.दं.सं. के आवश्यक तत्व संदेह से परे प्रमाणित नहीं किये गये हैं।

अब अभियुक्त के विरुद्ध धारा 146/196 एवं 56/198 मोटर वाहन अधिनियम के आरोपों पर विचार किया जाना आवश्यक है। अभियुक्त के विरुद्ध यह आरोप है कि उसने उक्त बस को बिना वैध बीमा एवं बिना वैध फिटनेस प्रमाण–पत्र के सार्वजनिक स्थान पर चलाया।

अभियोजन द्वारा वाहन के बीमा प्रमाण–पत्र अथवा उसके अभाव को प्रमाणित करने के लिए कोई सक्षम अधिकारी, बीमा कम्पनी का अधिकारी अथवा अन्य स्वतंत्र एवं विश्वसनीय

साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। पीडब्ल्यू–6 अनुसंधान अधिकारी ने भी प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि बस के इंश्योरेंस के संबंध में यदि कोई दस्तावेज पत्रावली में शामिल हो तो उसे इसकी जानकारी नहीं है। अतः बिना वैध बीमा के वाहन चलाये जाने का आरोप भी अभियोजन द्वारा विधिवत प्रमाणित नहीं किया गया है।

इसी प्रकार बस के वैध फिटनेस प्रमाण–पत्र के अभाव के संबंध में भी अभियोजन द्वारा कोई प्रमाणित दस्तावेज अथवा सक्षम परिवहन अधिकारी की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। केवल वाहन का मैकेनिकल मुआयना करवाया जाना इस तथ्य का प्रमाण नहीं है कि वाहन के पास वैध फिटनेस प्रमाण–पत्र नहीं था। अतः धारा 146/196 एवं 56/198 मोटर वाहन अधिनियम के आरोप भी अभियोजन द्वारा संदेह से परे प्रमाणित नहीं किये गये हैं।

समग्र साक्ष्य के अवलोकन से यह तथ्य अवश्य परिलक्षित होता है कि श्यामलाल की मोटरसाइकिल और रोडवेज बस के मध्य दुर्घटना हुई तथा उक्त दुर्घटना के पश्चात श्यामलाल की मृत्यु हुई। परन्तु किसी दुर्घटना का होना मात्र अभियुक्त को आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है। अभियोजन को यह भी सिद्ध करना आवश्यक है कि दुर्घटना के समय संबंधित वाहन अभियुक्त ही चला रहा था तथा उसके द्वारा वाहन को उतावलेपन अथवा उपेक्षापूर्वक चलाये जाने के कारण दुर्घटना एवं मृत्यु कारित हुई।

वर्तमान मामले में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रमुख साक्षी पीडब्ल्यू–2 जगदीश एवं पीडब्ल्यू–5 राजेन्द्र अभियुक्त को बस चालक के रूप में पहचान नहीं पाए हैं। पीडब्ल्यू–3 घटना का प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। अनुसंधान अधिकारी भी बस के अभियुक्त द्वारा संचालित किये जाने का कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं कर सका। इसी प्रकार बिना बीमा एवं बिना फिटनेस प्रमाण–पत्र के वाहन चलाये जाने के आरोप भी आवश्यक एवं विश्वसनीय साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हुए हैं।

अतः अभियोजन साक्ष्य में ऐसी महत्वपूर्ण एवं मूलभूत कमी विद्यमान है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना आवश्यक है। आपराधिक न्यायशास्त्र का मूल सिद्धांत है कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप संदेह से परे प्रमाणित होना आवश्यक है तथा यदि उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त की दोषिता के संबंध में युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न होता है तो उसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए।

अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त कमलेश के विरुद्ध धारा 279, 304ए भा.दं.सं. तथा धारा 146/196, 56/198 मोटर वाहन अधिनियम के आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त कमलेश को उपरोक्त सभी आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## आदेश

परिणामतः, **अभियुक्त कमलेश कुमार पुत्र शिवचंद निवासी सरदारपुरा बीका सूरतगढ़ थाना सूरतगढ़ सदर गंगानगर** को अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304ए भारतीय दंड संहिता व धारा 146/196, 56/198 मोटर वाहन अधिनियम के तहत सन्देह का लाभ देते हुए दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त के पूर्व में पेश जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

साथ ही अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि वह धारा 437–ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 10,000/– रुपए का जमानत व इसी कदर राशि का मुचलका पेश करे।

प्रकरण में जप्तशुदा वाहन जो पूर्व में सुपुर्दगीदार को सुपुर्दगी पर दिया गया हैं, उसका सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा बाद गुजरने मियाद अपील, अपील ना होने की दशा में निरस्त समझा जावे।

**(दीपेंद्र कुमार मीणा)**
**अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,**
**लाडनूं**

निर्णय आज दिनांक **11.08.2026** को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(दीपेंद्र कुमार मीणा)**
**अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,**
**लाडनूं**